

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(28)एमई/ग्रुप-1/2019

जयपुर, दिनांक : 9/12/2020

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ए के उप नियम-8 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर निम्नांकित बायोकेमिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष एवं तिथि की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वरिष्ठ बायोकेमिस्ट के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ष	रिक्ति की तिथि
1	डॉ० जामृति झा	2019-20	06.11.2019
2	डॉ० पियूष अजमेरा	2019-20	06.11.2019

पदोन्नति पर इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में वरिष्ठ बायोकेमिस्ट के रिक्त पदों के विरुद्ध एतद्वारा किया जाता है।

आज्ञा से,

9/12/2020
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज।
8. रक्षित पत्रावली।

Wby
09.12.2020
(रमेश चन्द्र आर्य)

शासन वरिष्ठ उप सचिव